न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–03/2020 (2020/00010) दर्ज दिनांक 08.01.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

अनवान

रामचन्द्र पिता देवकिशन जाट निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

——प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर

——विपक्षी

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री मुकेश कुमार चौधरी

विपक्षी : पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट ::

निर्णय दिनांकः–29.01.2021

:: निर्णय::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सरगांव तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की साबिक आराजी खसरा नं0 644/2 रकबा 31 बीघा 7 बिष्वा स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् पुरान साथ प्रस्तुत है।

यह कि गांव सरगांव का भु–प्रबंध हुआ। भु–प्रबंध के दौरान उक्त वर्णित साबिक आराजी संख्या 644/2 रकबा 31 बीघा 7 बिष्वा के नवीन नम्बर एवं नवीन रकबा कायम किया गया जो इस प्रकार है। नवीन आराजी संख्या 1646 रकबा 2.37 हे0, 1647 रकबा 2.85 हे0, 1649 रकबा 1.45 हे0 एवं 1651 रकबा 0.84 हे0 कायम किये प्रमाण में नकल जमाबंदी नई एवं नवीन नक्शा ट्रेस एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपियां साथ पेश है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 16:07:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 03 / 2020(2010 / 00010)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

यह कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या 644 / 2 साबिक में किसी प्रकार कोई रास्ता नहीं हैं मौके पर एक ही चक होकर मै प्रार्थी काश्त लाभ लेता आ रहा हूँ। परन्तु सेटलमेंट वालों ने बिना प्रार्थी की जानकारी के बालाबाला एवं बिना न्यायालय के प्रभावी आदेश के मनमकसुद तरीके से प्रार्थी की हाल आराजी सं0 1646, 1647, 1648, 1649 एवं 1651 के साबिक नं0 644 / 2 का रकबा 31 बीघा 7 बिष्वा का एक ही चक है जो वर्तमान में मौजूद है। परन्तु सेटलमेंट वालों ने भु–प्रबंध के दौरान जो नक्शा ट्रेश नवीन तैयार किया उस नये नक्शे मे हाल आराजी संख्या 1647 रकबा 2.85 हे0 के बीच में नये सिरे से आराजी संख्या हाल 1648 रकबा 0.10 गे0मु0 रास्ता का अंकन कर दिया जब कि मौके पर कोई रास्ता बना हुआ नहीं है न साबिक नक्शे में रास्ता ही कायम हैं और आराजी संख्या 1647 में नये सिरे से जो रास्ता नवीन नक्शा में दर्शाया गया उसके नम्बर 1648 रकबा 0.10 हे0 गे0मु0 रास्ता दर्शा दिया है जो पुनः धारा 136 एल.आर.ऐक्ट के तहत डिलिट कराया जाना आवष्यक है। मेरी हाल आराजी नं0 1647 के दो टुकड़े कर दिये जब कि मौके पर कोई रास्ता नहीं है केवल एक ही चक है। प्रमाण में साबिक नक्शा पेश है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गांव सरगांव की हाल आराजी सं0 1647 में गलत तरीके से नवीन राजस्व नक्शे में नये सिरे से दर्शाया गया गे0मु0 रास्ता को पुनः डिलिट फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया जो सूचना होने के बावजूद विपक्षी पेरोकार उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर से उक्त प्रार्थना पर पर मौका रिपोर्ट तलब की गई जो इस प्रकार है:–

मौके अनुसार जांच की गई जिसमें आराजी नं0 1648 रकबा 0.10 हे0 किस्म गे0मु0 रास्ता दर्शाया गया है जो वर्तमान में भी रास्ते के लिए उपयोग में किया जा रहा है। संबंधित आराजी वर्तमान में प्रार्थी के नाम खातेदारी भूमि दर्ज रेकार्ड है, अतः प्रार्थी का रकबा भी खातेदारी भूमि में प्रभावित नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा सेटलमेन्ट पूर्व का जिसमें प्रार्थी के चक वर्तमान स्थिति अनुसार सेटलमेन्ट द्वारा रास्ता दर्ज किया गया है। प्रार्थी का रकबा कम नहीं किया जाकर सिर्फ रास्ते की भूमि की किस्म गे0मु0 रास्ता किया गया है। वर्तमान में मौके पर सह खातेदार एवं अन्य खातेदारों द्वारा आवागमन किया जा रहा है। मौके पर रास्ता बना होकर उपयोग में किया जा रहा है। अतः प्रकरण निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 16:07:06 IST
Reason: SelfAttested

2.

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 03 / 2020(2010 / 00010)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

प्रार्थी अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमे आम सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर निवेदन किया । बाद बहस मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। चूंकि तहसीलदार सहाड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 1648 रकबा 0.10 हे0 किस्म गे0मु0 रास्ता दर्शाया गया है जो वर्तमान में भी रास्ते के लिए उपयोग में किया जा रहा है। संबंधित आराजी वर्तमान में प्रार्थी के नाम खातेदारी भूमि दर्ज रेकार्ड है, अतः प्रार्थी का रकबा भी खातेदारी भूमि में प्रभावित नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा सेटलमेन्ट पूर्व का जिसमें प्रार्थी के चक वर्तमान स्थिति अनुसार सेटलमेन्ट द्वारा रास्ता दर्ज किया गया है। प्रार्थी का रकबा कम नहीं किया जाकर सिर्फ रास्ते की भूमि की किस्म गे0मु0 रास्ता किया गया है। प्रार्थनापत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का पोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
(उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 3.
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 16:07:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner